सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम **प्रकरण संख्या 103/2019** (RCMS **2019/00183**) 1. बबीता पत्नी स्व. राम कुमार जाति कुम्हार निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 2. सुरेन्द्र सिह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर,. 3.. चरण सिंह पुत्र श्री स्वर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी 6 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 4. जोगेन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
<u>बनाम</u> जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>04.12.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि से श्री सुरेश कुमार उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने फार्म नं. 03 के साथ महेन्द्र सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया, जो शामिल किया गया। बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण बबीता पत्नी स्व. रामकुमार, सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, चरण सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जरिए मुख्त्यारेआम पुत्र हरजिन्द्र सिंह एवं जोगेन्द्र कौर पत्नी महेन्द्र सिंह के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास का कथन है कि 6 ए प्रकरण संख्या 319/2009 अनवान सराकर बनाम विनोद कुमार-रामकुमार मे दिनांक 21.10.2010 के आदेश द्वारा वाहन आयशर ट्रैक्टर नं. आरजे-13/आईआर 7449 मय ट्राली व 1600 लीटर डीजल राजसात किया गया था। धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 68/2010 अनवान सरकार बनाम विनोद कुमार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.09.2016 को उन्मोचित किया जा चुका है इसलिए पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 88/2017 अनवान विनोद कुमार वगै. बनाम जिला रसद अधिकारी में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 के द्वारा वाहन स्वामी रामकुमार के स्वामित्व का डीजल वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जा चुके है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह कथन है कि शेष 1200 लीटर डीजल के सम्बन्ध में कथन है कि उक्त 1200 लीटर डीजल सुरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह एवं चरणजीत सिंह का था, जिसमें उनके द्वारा पूर्व में प्रार्थना नहीं की गई थी। अब उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2019 प्रस्तुत करके यह निवेदन किया गया है कि सुरेन्द्र सिंह, चरण सिंह व महेन्द्र सिंह का शेष जब्तशुदा 1200 लीटर डीजल प्रार्थी संख्या 3 की ओर से उसके मुख्त्यारेआम हरजिन्द्र सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 4 महेन्द्र सिंह की पत्नी जोगेन्द्र कौर की ओर से उक्त डीजल अप्रार्थी संख्या 01 बबीता पत्नी रामकुमार को सौंप दिये जाने की प्रार्थना की गई है। इसलिए उक्त 1200 लीटर डीजल या उसके विक्रय की दशा में विक्रय राशि डीजल स्वामियों की सहमति के आधार बबीता पत्नी स्व. रामकुमार को वापिस लौटाया जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि राजसात किया किया गया शेष 1200 लीटर डीजल बिलों के अनुसार सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, चरण सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह व महेन्द्र सिंह का प्रत्येक का 400–400 लीटर डीजल है। बबीता पत्नी स्व. रामकुमार का उक्त डीजल से कोई सम्बन्ध नहीं है चूंकि वह अपने पति स्व. श्री रामकुमार के स्वामित्व का 400 लीटर डीजल पहले ही प्राप्त कर चुकी है। इसलिए उक्त शेष 1200 लीटर डीजल बबीता को नहीं लौटाया जा सकता। केवल बिलों के अनुसार उक्त 1200 लीटर डीजल सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, चरण सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह व महेन्द्र सिंह का है इसलिए उन्हें ही लौटाया जा सकता है, जिसमें विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि विभाग द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 68/2010 सरकार बनाम विनोद कुमार के विरूद्ध स्टेट द्वारा कोई अपील नहीं की गई है और राजसात किया गया वाहन पूर्व में ही वाहन स्वामी को वापिस दिया जा चुका है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें दोनों पक्षों के उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि धारा 6 ए प्रकरण संख्या 319/2009 अनवान सरकार बनाम विनोद कुमार–रामकुमार मे दिनांक 21.10.2010 के आदेश द्वारा 1600 लीटर डीजल राजसात किया गया था एवं वाहन आयशर ट्रैक्टर नं. आरजे–13/ आईआर 7449 मय ट्राली भी राजसात किये गए थे, जिसकी एवज् में 1,20,000/– रूपये वाहन स्वामी पर जुर्माना आरोपित किया गया था। जिसकी अपील सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के पेश होने पर अपील संख्या 194/2011 राजकुमार बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 02.12.2011 के द्वारा इस न्यायालय का आदेश 17.10.2011 जुर्माना राशि निरस्त की जाकर अपीलकर्त्ता रामकुमार 3,25,000/– के सुपुदर्गीनामा व इसी राशि की सक्षम प्रतिभूति जमानत प्रस्तुत करने पर वाहन स्वामी को सुपुर्दी पर जब्तशुदा वाहन व ट्राली को सौंपे जाने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.10.2011 के द्वारा राशि 3.25/– लाख रूपये सक्षम प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी एवं स्वयं का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर मय ट्रॉली सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये गये थे। पूर्व प्रकरण संख्या 88/2017 अनवान् विनोद कुमार बनाम सरकार में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 07.02.2018 के द्वारा वाहन पूर्व में छोड़ा जा चुका है। रामकुमार का राजसात किया गया 400 लीटर डीजल रामकुमार की मृत्यु पर उसकी पत्नी बबीता को पूर्व में ही प्रकरण संख्या 88/2017 आदेश दिनांक 20.02.2018 के द्वारा लौटाये जाने के आदेश दिये जा चुके है और शेष 1200 लीटर डीजल के लिए चरणजीत सिंह, महेन्द्र सिह एवं सुरेन्द्र सिंह द्वारा पूर्व में वापसी हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण उक्त प्रकरण में आदेश दिया गया था कि इनके द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर विचार किया जायेगा, जो अब उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2019 को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पेश करने पर राजसात किये गंये शेष रहे 1200 लीटर डीजल उनके द्वारा बबीता पत्नी रामकुमार को लौटाये जाने की प्रार्थना की गई है, जो स्वीकार की जानी उचित नहीं है, जो डीजल का स्वामी है उसे ही नियमानुसार वापिस लौटाया जा सकता है।

अतः जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि जब्तशुदा डीजल बिलों के अनुसार 400 लीटर सुरेन्द्र सिंह, 400 लीटर चरणसिंह एवं 400 लीटर महेन्द्र सिंह का था। प्रार्थी महेन्द्र सिंह की पत्नी जोगेन्द्र कौर द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08.07.2014 के अनुसार महेन्द्र सिह की दिनांक 02.07.2014 को मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसका 400 लीटर डीजल या विक्रय की दशा में उसके वारिसान को नियमानुसार विक्रय राशि एवं इसीप्रकार सुरेन्द्र सिंह व चरणसिंह को उनका 400–400 लीटर डीजल या विक्रय की दशा में नियमानुसार उनकी राशि उक्त सभी प्रार्थीगण की उचित पहचान कर विधिवत् वापिस लौटा दी जावे।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उक्तानुसार निस्तारित **किया जाता है।** जिला रसद अधिकारी को निर्णय की प्रति मय उनका मूल रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर